न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व वसूली प्रकरण सं. 25/2023

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
विकास अधिकारी पंचायत समिति रामसर जिला बाड़मेर		श्रीमती सलमा पत्नी ईशाक खां पूर्व सरपंच निवासी ग्राम पोस्ट बूठिया तहसील रामसर जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2024

1. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 17.01.2023 को राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत सर्टिफिकेट के लिये प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर अप्रार्थी से बकाया राशि 4,14,895/–की वसूली का अनुरोध किया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बूठिया में किये गये अनाधिकृत व्यय राशि 5,07,108/–जो कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत कोष में दिनांक 26.07.2017 को रसीद सं. 7 से 12 में जमा करा दी परन्तु इसके ब्याज की राशि रूपये 4,14,895/–जमा नहीं कराई। इसके लिए माननीय लोकायुक्त द्वारा सचिवालय में दर्ज परिवाद द्वारा हबीब खां प्रकरण में उक्त वसूल की गई राशि के ब्याज की वसूली के निर्देशों की पालना में इस कार्यालय द्वारा दोषी श्रीमती सलमा को नोटिस पत्रांक 131,989 [illegible] 32 [illegible] क्रमशः–दिनांक 07.04.2017, 1503.2019 (पंजिकृत डाक लेने से इन्कार) [illegible].03.2019 (तामील करने से इन्कार) नोटिस पत्र जारी किये गये परन्तु उनके द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई। उक्त वसूली योग्य राशि वसूल करने की कार्यवाही के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:22:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दोषी द्वारा तनाव की स्थिति पैदा करने से इस कार्यालय स्तर से असम्भव होने पर उक्त वसूली कार्यवाही हेतु ब्याज की राशि वसूल योग्य है। अतः राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 3(1)(2) के अन्तर्गत उक्त राशि वसूली हेतु निर्धारित प्रपत्र मे डिमाण्ड प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी से उक्त ब्यांज राशि वसूल कर दिलवाने की कार्यवाही करावें।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के उक्त उल्लेखित पते पर प्रेषित नोटिस अप्रार्थी स्वयं हाजिर नही मिलने पर नोटिस उसके आबाद मकान पर मोहतबरान उपस्थित श्री अमीन खां पुत्र बाबला खां जाति मुसलमान ग्राम निवासी पोस्ट बूठिया तहसील रामसर के रूबरू चस्पा किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी को पर्याप्त सूचना के बावजूद भी एक वर्ष से अधिक समयावधि गुजरने के बाद भी अप्रार्थी न तो उपस्थित हुई ओर न ही कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया हैं, लिहाजा प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया।

3. हमने विभागीय पैरोकार को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत बूठिया में किये गये अनाधिकृत व्यय राशि 5,07,108/–जो कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत कोष में दिनांक 26.07.2017 को रसीद सं. 7 से 12 में जमा करा दी परन्तु इसके ब्याज की राशि रूपये 4,14,895/–जमा नहीं कराई। इसके लिए माननीय लोकायुक्त द्वारा सचिवालय में दर्ज परिवाद द्वारा हबीब खां प्रकरण में उक्त वसूल की गई राशि के ब्याज की वसूली के निर्देशों की पालना में पंचायत समिति कार्यालय द्वारा दोषी श्रीमती सलमा को नोटिस पत्रांक 131,989,1032 क्रमशः–दिनांक [illegible] (पंजिकृत डाक लेने से इन्कार), 27.03.2019 (तामील करने [illegible] नोटिस पत्र जारी किये गये परन्तु इनके द्वारा राशि [illegible] उक्त वसूली योग्य राशि वसूल करने की कार्यवाही के दौरान बाकिदार द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना नहीं करने तथा वसूल योग्य राशि जमा करवाने में कोई रूचि नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:22:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लेने पर प्रार्थी के कार्यालय स्तर से वसूली असम्भव होने पर उक्त वसूली हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी को इस प्रार्थना–पत्र का जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया एवं समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी निर्धारित समयावधि एवं सुनवाई तिथी को न तो उपस्थित हुई और न ही कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया गया। लिहाजा प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी बाकिदार से वसूलनीय राशि रूपये 4,14,895/– अप्रार्थी से वसूल करने के आदेश दिये जाते है। पीडीआर एक्ट की धारा 3 के अनुसार लोक अभियाचन का सर्टिफिकेट जारी करने की दिनांक 27.02.2023 से लगाकर वसूली तक ब्याज एवं कोस्ट नियमानुसार अप्रार्थी से वसूल की जावें।

5. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

28-08-24

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:22:41 IST
Reason: SelfAttested